अध्याय-VI
निष्कर्ष और सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, कम्पनी ने 2016-17 में ₹9,738.45 करोड़ की आय पर ₹4,293.68 करोड़ के कर पूर्व लाभ सहित लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 2012-17 की अवधि को कवर करते हुए कम्पनी के परिचालन निष्पादन की समीक्षा पर यद्यपि कई आपत्तियां और चिंताएं थी जो नीचे दर्शाई गई हैं।

कम्पनी की अधिकतम अनुमत उत्पादन क्षमता 2015-16 तक 37 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) और 2016-17 के दौरान 44 एमटीपीए थी। स्लरी पाईप लाईन की अनुपलब्धता, स्क्रीनिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता, भंडार की संतृप्ति, उपभोक्ताओं से आदेशों की कमी जैसे कारणों से क्षमता का उपयोग 27 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की संगत कमी के साथ 73 प्रतिशत (2012-13) और 82 प्रतिशत (2014-15) के बीच अस्थिर बना हुआ था। एसएमपी-विज़न 2025 सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ तैयार की गई थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में लौह अयस्क और इस्पात के मूल्यों में गिरावट के अनुमानों के बावजूद भी यह किया गया। यद्यपि कम्पनी ने 2018-19 तक 50 एमटीपीए और 2021-22 तक 67 एमटीपीए तक अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाएं (कॉम्पलैक्स वार) परिकल्पित की, इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए समय सीमाएं अवास्तविक प्रतीत हो रही है जो कि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने और समय सीमा के अनुपालन में कमी से प्रतीत हुआ है।

बैलाडिला क्षेत्र में 11बी खान और डोनीमलाई क्षेत्र में कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना खान का विकास, जो कि उत्पादन क्षमता के संवर्धन के लिए था, कम्पनी/सलाहकार और ठेकेदारों दोनों के कारण काफी विलम्बित हुआ। यद्यपि इन परियोजनाओं के मुख्य पैकेज क्रमश: अगस्त 2015 और मई 2017 तक पूरे किये गये थे, पूर्ण क्षमता उत्पादन स्क्रीनिंग प्लांट के गैर संस्थापन के कारण पूरे नहीं किये जा सके। बैलाडिला क्षेत्र में डिपोजिट 13 के संबंध में सांविधिक मंज़ूरियाँ प्राप्त करने में विलंब (14 वर्ष) था, जिसके परिणामस्वरूप खदान के विकास में विलंब हुआ। कम्पनी कर्नाटक राज्य वन विभाग द्वारा मांगे गये आवश्यक विवरण के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण डोनीमलाई में स्क्रीनिंग प्लांट-।। के लिए अपेक्षित सांविधिक मंजूरी प्राप्त नहीं कर सकी और किरनडुल कॉम्पलैक्स में स्क्रीनिंग प्लांट ।।। के लिए कम्पनी, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग पर आरोपित कारणों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में नौ वर्ष लग

गये। निकासी क्षमता वृद्धि परियोजना कार्य अपूर्ण रहे अथवा उन्हें सांविधिक मंजूरी को प्राप्त करना अब भी शेष था, जो की संशोधित एसएमपी - विज़न 2025 में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति में अवरोधक थे।

नगरनार, छत्तीसगढ़ में एकीकृत इस्पात संयंत्र के निर्माण में अतार्किक विलंब हुए, जिसे मार्च 2014 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसके कारण परियोजना हेतु लागत अनुमानों में उर्ध्व वृद्धि करना आवश्यक हो गया। इस रिपोर्ट में विलंब के विभिन्न कारण दर्शाये गये हैं जिनमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार न किये जाने पर बल दिया गया है। कर्नाटक में एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए भूमि पर अधिकार प्राप्त करने में काफी विलंब हुआ। भूमि पर स्वामित्व पाने में हुए आठ वर्षों के विलंब से संयंत्र को स्थापित करने में व्यापक प्रभाव पड़े। कम्पनी को कर्नाटक में इस एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए कैप्टिव खान के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से रमनदुर्ग खान के लिए खनन लीज अभी तक प्राप्त करनी थी (मार्च 2018)।

डोनीमलाई में पैलेट संयंत्र मार्च 2012 की निर्धारित पूर्णता तिथि के प्रति जून 2017 में आरंभ किया गया था, वह भी 2017-18 के दौरान संस्थापित क्षमता के छः प्रतिशत से नीचे के उत्पादन के साथ। पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा खान की पूरक खनन लीज की समाप्ति के कारण, कम्पनी एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां 2020 के बाद वह इसके पास उपलब्ध टफ का प्रसंस्करण नहीं कर पाएगी।

निष्पादन लेखापरीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ कि कम्पनी द्वारा आरंभ की गई संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में काफी कमियां थी। पांच संयुक्त उद्यम कम्पनियों में किया गया ₹714 करोड़ का निवेश अब तक कोई रिटर्न नहीं दे सका था। कम्पनी ने अभी तक चालू परियोजनाओं के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ समय सीमा निर्धारित करने के संबंध में 2012-13 की प्रतिवेदन सं. 20 में की गई सीएजी की सिफारिश लागू नहीं की थी और परिणामस्वरूप, कम्पनी के दावे, कि कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाओं और पैकेजों की बोर्ड स्तरीय उप-समिति द्वारा निगरानी की जा रही थी, के बावजूद विभिन्न चालू परियोजनाओं की प्रगति विलंबों से प्रभावित हो रही थी।

6.2 सिफारिशें

1) कंपनी को अपनी आवधिक योजनाओं में लक्ष्य निश्चित करते समय बाजार प्रचलनों पर विचार करना चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य व्यवहारिक और प्राप्ति योग्य हों।
2) कंपनी निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को समयानुसार प्रस्तुत करना और संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से निरंतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

3) कंपनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश उद्यमों में शामिल होने से पूर्व जोखिम तथ्यों पर समुचित उद्यम करने और समुचित संज्ञान देने की आवश्यकता है।
4) कंपनी को परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब और समय तथा लागत की वृद्धि से बचने के लिए अपनी परियोजना क्रियान्वयन तंत्र/नीति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
5) कंपनी का बोर्ड परियोजनाओं को समयानुसार समाप्त करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करे।

लेखापरीक्षा सिफारिशों पर इस्पात मंत्रालय की प्रतिक्रिया:

इस्पात मंत्रालय उपरोक्त सिफारिश सं. (2), (3) तथा (4) से सहमत था। सिफारिश सं. (1) के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि अस्थिर बाजार दशाओं के मद्देनजर लौह-अयस्क उद्योग में सही बाजार प्रचलनों का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन है। सिफारिश सं. (5) के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा निदेशक मंडल की उप-समिति करती है और परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु सलाह और उपचारात्मक कार्रवाई सुझाती है।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. (1) तथा (5) पर मंत्रालय के उपरोक्त उत्तरों पर विधिवत विचार किया गया है और उनपर लेखापरीक्षा के मतों के साथ इस प्रतिवेदन के संबंधित पैरा (पैरा 2.1.4 तथा 5.1) में शामिल कर लिया गया है।

वेंकटेश मोहन

नई दिल्ली **(वेंकटेश मोहन)**

दिनांक: 30 मई 2019 **उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**

दिनांक: 31 मई 2019 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**